भारतीय संघवाद के सन्दर्भ में आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

डॉ0 निवेदिता कुमारी

उप– आचार्या एवं विभागाध्यक्षा राजनीतिक विभाग, गिन्नी देवी मोदी गर्ल्स पी0 जी0 कॉलिज, मोदीनगर

सारांश

भारतीय संविधान में भारत को एक संघ घोषित किया गया हैं। राज्यों इकाइयों के पास अपना प्रशासन चलाना की पर्याप्त संरचनाऐं हैं। भौगोलिक रूप से विशाल देश भारत की बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा के लिए केन्द्र व राज्यों में पर्याप्त समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने केन्द्र को शक्तिशाली बनाया है। वहीं राज्यों को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिये पर्याप्त स्वंत्रतता दी है। संविधान में जिन प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्यों को जो अधिकार दिये गये है उनमें केन्द्र की शक्तियों को प्रधानता दी गयी है। अनुच्छेद 248, 254, 256, 257, 355, 356 और 365 में इनका स्पष्ट उल्लेख है। प्रस्तुत शोध लेख में संघवाद की प्रकृति के सन्दर्भ में आन्तरिक सुरक्षा से सम्बधिंत संवैधनिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया है।

शोध पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:

डॉ0 निवेदिता कुमारी, ''भारतीय संघवाद के सन्दर्भ में आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान'',
शोध मंथन जून 2017,
पेज सं0 42–48
http://anubooks.com/?page_id=2030
Article No.7(SM414)

प्रस्तावना

संघवाद की प्रकृति–

'' व्याक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय सविंधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते है। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता।'' – राजेन्द्र प्रसाद

भारतीय संघवाद की संरचनात्मक प्रकृति को 'अर्धसंघीय' ' वैधानिक विक्रेन्द्रीकरण' या किसी अन्य शब्दावली से व्याख्यित नहीं किया जा सकता है। संविधान निर्माता स्वयं किसी संघवाद के किसी भी मत या सिंद्वान्त से बंधना नहीं चाहते थें। संविधान निर्माताओं का मत था कि भारत में अनूठे प्रकार की समस्याएँ हैं जो संघवाद के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। अतः भारतीय संघवाद के लिए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया जो इस मान्यता पर आधारित है कि, ''एक ऐसी नीति अपनाई गई जो इस आंकलन पर टिकी थी कि उनके लिए क्या चीज उपयुक्त, अनुकूल और राष्ट्र के मानस की दृष्टि से सर्वाधिक उचित'' होगी। इससे संघ की प्रकृति में परिवर्तन आ गया।

ए. एच. बर्न तथा अन्य विद्वानों के शब्दों में कहा जाये तो भारतीय संविधान सभा इतिहास का सम्भवतः पहला ऐसा संवैधानिक निकाय था जिसने 'सहकारी संघवाद' को अपनाया था। द्वितीय विश्व युद्व के बाद उभरी यह प्रवृति संघीय व प्रान्तीय सरकारों की निरन्तर बढ़ती आत्मनिर्भरता के लिए अनुकूल थी। यह प्रवृति संघवाद के लिए किसी भी प्रकार से घातक सिद्व नहीं हुई हैं। इसी आधार पर डॉ0 व्येहर ने संघवाद की यह परिभाषा दी है कि '' अपने –अपने क्षेत्र में देश की सामान्य और क्षेत्रीय सरकार एक दूसरे से स्वतन्त्र होगी।'' सहकारी संघवाद में केन्द्र सरकार मजबूत होती है परन्तु प्रान्तीय सरकारें भी कमजोर नहीं होती है। बर्च के अनुसार, ''सहकारी संघवाद की व्याख्या इन लक्षणों के आधार पर की जा सकती है।.....आम और क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशसानिक सहयोग, वित्तीय अनुदान के मामले में क्षेत्रीय सरकारों की केन्द्रीय या आम सरकारों पर आंशिक निर्भरता तथा एक तथ्य यह भी कि आम सरकार सशर्त अनुदान से अक्सर उन क्षेत्रों कें विकास की जिम्मेदारी भी लेती है जिन्हें संवैधानिक दृष्टि से प्रान्तों का दायित्व माना जाता है।'' भारतीय संघवाद सहकारी के साथ–साथ कई अर्थो में एकीकृत व्यवस्था भी देता है। साम्प्रादायिक तनाव, रियासतों का एकीकरण व राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय ने केन्द्र को शक्तिशाली बनाने का आधार तैयार किया था राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से शाक्तियों के विभाजन में भी केन्द्र को ज्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।'' प्रस्तुत शोध लेख में संघवाद के सन्दर्भ में आन्तरिक सुरक्षा से सम्बंधित मामलों में केन्द्र व राज्यों की स्थिति को संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से परखने का प्रयास किया गया है।

आन्तरिक सुरक्षा के सन्दर्भ में केन्द्र व राज्यों की संवैधानिक स्थिति–

यद्यपि भारतीय संविधान में राज्य की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था शक्ति और अधिकारों के विषय में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। तथपि संविधान का अनुच्छेद 246 केन्द्र व राज्यों के

मध्य षक्तियों का विभाजन पर प्रकाष डालता है। इसमें विधायी शक्ति का विभाजन तीन सूचियों के माध्यम से किया गया है–

1. संघ सूची 2. राज्य सूची 3. समवर्ती सूची

भारत में प्रान्तीय इकाइयों को आन्तरिक सुरक्षा के लिए 'पुलिस व्यवस्था' की शक्ति राज्यों सूची के अन्तर्गत दिये गये विषयों के तहत प्राप्त है

भारत संविधान के सातवीं अनुसूची में 'पुलिस' विषय की प्रविष्टि 'पब्लिक आर्डर, जेल तथा न्याय प्रशासन एवं सुधार गृहों आदि के साथ राज्यसूची के अन्तर्गत आती है। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संघ सूची की 2A प्रविष्टि के द्वारा संघ सरकार के द्वारा सशस्त्र पुलिस या संघ सरकार के नियन्त्रण में किसी अन्य बल का नियुक्त होना, अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थिति में या किसी राज्य की सहायता के लिए नियुक्त होने में इनके अधिकार, शक्तियाँ, सुविधायें, उत्तरदायित्व नियुक्ति के समय संघ सरकार के विषय होंगे।

इससे राज्य पुलिस प्रशासन की स्वायत्तता को उस समय गम्भीर रूप से आघात पहुंचता है जबकि आपातकाल की उद्घोशणा न भी की गई हो। संघ सूची के प्रारम्भिक विशय भारत और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा से सम्बन्धित हैं इसमें नौसेना, स्थलसेना और वायु सेना का निर्माण, सैनिक क्षेत्रों का शासन, शस्त्रास्त्र और युद्धोपकरण का प्रबन्ध और उत्पादन शामिल हैं। अणुशक्ति का विकास और उससे सम्बद्ध उद्योग, प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक उद्योग, केन्द्रीय गुप्तचर विभाग, प्रतिरक्षा वैदेशिक सन्धियाँ और समझौते, युद्ध और शान्ति से सम्बन्धित निर्णय आदि कुल मिलकर संघीय सूची में 97 विषय हैं। जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है वे विषय राज्यसूची में सम्मिलित है, इन की संख्या 66 है। समवर्ती सूची में वर्णित 52 विषयों पर केन्द्र व राज्य दोंनों को कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार यदि कोई विषय तीनों सूचियों में शामिल नहीं है तो वह भी अवशिष्ट सूची के अन्तर्गत संघीय अधिकार क्षेत्र में माना जायेगा।

संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संसद और विधानमण्डलों को कानून बनाने का समान अधिकार है। समवर्ती सूची का पहला विषय दण्ड विधि और संहिता है। दूसरा विषय दण्ड प्रक्रिया संहिता है। नये फौजदारी कानून या पुराने फौजदारी कानूनों में संषोधन का अधिकार संसद और राज्य विधानमण्डल दोनों को है अर्थात् ये भी समवर्ती सूची का विषय है। राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, समाज के लिए अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए निवारक नजरबन्दी इत्यादि विषय समवर्ती सूची के विषय है। ज्ञातव्य है कि समवर्ती सूची में वर्णित किसी विशय पर यदि राज्य का विधानमण्डल ऐसा कानून बनाये जो संसद द्वारा निर्मित किसी कानून के प्रतिकूल हो तो राज्य का कानून न्यायालयों के द्वारा प्रतिकूलता की सीमा तक अवैध घोषित किया जा सकता है। यह संघवाद की केन्द्रीय झुकाव की प्रकषति को पुष्ट करता है। संघीय और समवर्ती सूचियों के विस्तार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य केन्द्र सरकार को देश की आन्तरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमण से रक्षा करने के लिए पर्याप्त षक्तियाँ देना था। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया कि सुरक्षा और औद्योगिक

विकास के लिए इस्पात कोयला, मशीनों, जहाजों, हवाई जहाजों, मोटरों, ट्रकों, तेल, रबर, कपड़ा सीमेण्ट इत्यादि उद्योगों के तेजी से विकास के लिए इन पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण आवश्यक है।

उपरोक्त सभी प्रावधानों से स्पष्ट है कि आन्तरिक सुरक्षा कार्यों के सम्बन्ध में संघीय सरकार को अविवादित नियन्त्रण प्रदान किया है। इस सन्दर्भ में **के.के.दास** कहते हैं संघ के सशस्त्र बलों में न केवल थलसेना, नौसेना और वायु सेना आती है बल्कि सी.आर.पी.एफ तथा बी. एस.एफ. जैसे अन्य सैन्य बल भी आते हैं।

संघ की केन्द्रीकृत एवं रक्षा शक्तियाँ निम्न अनुच्छेदों के द्वारा भी व्यक्त होती हैं अनुच्छेद 248, 254, 256, 257(i), 355, 356 और 365। अनुच्छेद 246, जो कि केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति विभाजन से सम्बन्धित है, में भी केन्द्र को प्रमुखता दी गयी है क्योंकि केन्द्र व इकाइयों की विधि में परस्पर विरोध होने पर केन्द्र की विधि राज्य की विधि पर अभिभावी मानी गयी है।

अनुच्छेद 256 में व्यवस्था है कि– ''प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का तथा किन्हीं वर्तमान विधियों को, जो उस राज्य में लागू है, पालन सुनिश्चित रहे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होती हो।

भारत में कानून–व्यवस्था, शान्ति की स्थापना तथा अपराध, नक्सलवाद, विप्लव, दंगा आदि से निपटने की जिम्मेदारी पुलिस की है। ईकाइयों की पुलिस व्यवस्था का विषय राज्य सूची में होने के कारण राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने व सुरक्षा के कार्यो का निर्वहन करती है। परन्तु सुरक्षा व व्यवस्था को खतरा होने पर केन्द्र सरकार केन्द्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती कर सकती है (अनुच्छेद 370) प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की पुलिस होती है। राज्य सरकारें अपने राज्य की पुलिस के लिए प्रशासनिक नियन्त्रण के नियम भी बनाती हैं। जिन्हें पुलिस मैन्यूअल कहा जाता है। राज्यों में नागरिक पुलिस के साथ कानून, व्यवस्था, नक्सलवाद तथा आंतकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र पुलिस की बटालियनें भी होती हैं। इस प्रकार पुलिस के कार्य एवं कर्तव्य निम्न होते हैं–

1. अपराध की रोकथाम
2. अपराध की विवेचना
3. यातायात नियन्त्रण
4. व्यवस्था बनाये रखना
5. आन्तरिक सुरक्षा

कानून व्यवस्था राज्य का विषय होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार ''संघ का यह कर्त्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण एवं आन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे

और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। इसका आशय यह है कि आन्तरिक सुरक्षा के अन्तर्गत शान्ति, व्यवस्था और कानून स्थापित करने में राज्य के साथ–साथ केन्द्र सरकार की भी अहम भूमिका है। इसी प्रावधान के चलते भारत सरकार के गृहमंत्रालय के अधीन अनेक विविध अर्द्धसैन्य बलों की स्थापना की गई है। इनमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत–तिब्बत सीमा बल इत्यादि सहित लगभग 14 प्रकार के अर्धसैन्य संगठन हैं।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सूची के अनेक ऐसे विशय हैं जो आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं –जैसे आग्नेय एवं विस्फोटक पदार्थों का प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस, संचार व्यवस्था, केन्द्रीय सर्तकता, अखिल भारतीय पुलिस सेवा से सम्बद्ध विषय आदि। साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पुलिस बेतार समन्वय निदेशालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराधशास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान, सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी आदि अन्य केन्द्रीय पुलिस संस्थान हैं। इसी सन्दर्भ में संविधान की समवर्ती सूची में भी अनेक विषयों को भी सम्मिलित किया गया है। जिनके माध्यम से केन्द्रीय सरकार देश के पुलिस कार्यों पर अपना प्रभाव रखती हैं। ये विषय हैं– दण्ड विधि एवं कार्य पद्धति, निवारक नजरबन्दी कानून, आंतकवाद विरोधी कानून, दवायें एवं विभिन्न प्रकार के विष आदि। केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस प्रशासन केन्द्रीय गृहमंत्रालय के अधीन होता है।

अनुच्छेद 355 का उद्देश्य एवं क्षेत्राधिकार

बाह्य आक्रमण और आंतरिक अषान्ति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्त्तव्य– संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना निश्चित करे। इसलिए संघीय सरकार आवश्यकतानुसार आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के लिए आवश्यक कानूनी ढांचा, सेना एवं सशस्त्र बलों की सहायता के द्वारा राज्यों की सहायता करती है। इसी उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत 1990 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1998 में इसके स्वरूप में परिवर्तन करके इसे अधिक क्रियाशील बनाया गया। वर्तमान समय में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवादी हिंसा ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है। ये सुरक्षा समस्यायें राज्य सरकारों के नियन्त्रण से बाहर हैं। इसलिए वर्तमान सुरक्षा समस्याओं का केन्द्र–राज्य समन्वय के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय की प्रकृति ने आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में बाधा उत्पन्न की है। अभी तक भी आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने में केन्द्र की भूमिका का स्पश्ट निर्धारण नहीं हो पाया है। आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध इत्यादि को कानून व्यवस्था की समस्या माना जाये या राष्ट्रीय सुरक्षा और आन्तरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। इस प्रश्न के निर्धारण व समाधान के लिए केन्द्र व राज्यों के बीच सहज व सटीक समन्वय की आवश्यकता है जो राजनीतिक हितों से निरपेक्ष हो।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में वह व्यवस्था है जिससे केन्द्र सरकार को नागरिक

आपदाओं एवं आन्तरिक अव्यवस्था के समय राज्य सरकार को मदद करने के लिए विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। फिर भी लम्बे समय से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 के उद्देश्य एवं क्षेत्राधिकार के बारे में भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किये जाते रहे हैं और कोई स्पष्ट व सर्व – स्वीकार्य नीति नहीं बनायी जा सकी है। जब राज्य सरकारें आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करने में असफल रहती हैं, उस स्थिति को संभालने के लिए भारतीय संविधान में विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं, इस सन्दर्भ में संबंधित अनुच्छेद 256, 352, 355, 356 में स्पष्ट वर्णन है।

1975 के बाद देश की सुरक्षा परिस्थितियाँ बिगड़ती चली गई और आन्तरिक सुरक्षा को बनाये रखने में केन्द्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। इसलिए अनुच्छेद 355 की गम्भीर व्याख्यायें होनी प्रारम्भ हो गई। अनुच्छेद 355 संघ सरकार की षक्ति का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्त्रोत हैं जिसकी व्याख्या इस प्रकार है–

1. बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य है।
2. आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखना संघ का उत्तरदायित्व है।
3. संघ की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना निश्चित करे।

अनुच्छेद 355 का अभिप्राय, जैसा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी0 आर0 अम्बेडकर के द्वारा व्याख्या की गई हैं, 'सम्बन्धित एवं असम्बन्धित' दोनों प्रकार से लिया जा सकता है। यह परिस्थितियों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसका अभिप्राय यह है कि कई बार परिस्थितियाँ गम्भीर हो सकती है और कई बार वे एक दूसरे के साथ संयुक्त हो सकती हैं।

बाह्य आक्रमण को अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत भी स्पष्ट किया गया है। जिसके अन्तर्गत यदि राष्ट्रीय सुरक्षा या भारत के किसी भाग की सुरक्षा को चुनौती मिलती है तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। बाह्य आक्रमण शब्द की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 352 एवं अनुच्छेद 355, दोनों ही अनुच्छेदों में की गई है इसलिए दो विभिन्न अनुच्छेदों में इस अभिव्यक्ति के अभिप्राय एंव भिन्नता को समझना आवश्यक है–

अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत यदि राश्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गम्भीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्म आक्रमण या (सशस्त्र विद्रोह) के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह उद्घोषणा के द्वारा (सम्पूर्ण भारत या उसके राज्यक्षेत्र के ऐसे भाग के सम्बन्ध में जो उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट किया जाये) आपातकाल की घोषणा कर सकेगा। उपरोक्त अनुच्छेद के सन्दर्भ में कार्यवाही के लिए केन्द्र सरकार पूर्णतः प्राधिकृत है।

लेकिन यदि बाह्य चुनौती ऐसी गम्भीर प्रकृति की नहीं है जिसमें अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये या जिसमें अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की स्थिति नहीं आती है तो केन्द्र सरकार अनुच्छेद 352 एंव 356 के अन्तर्गत कार्य करने के बजाय अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कदम

उठाती है, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य में सशस्त्र बलों की नियुक्ति की जा सकती है।

अनुच्छेद 355 के उद्देश्य एवं सिद्धान्तों की व्याख्या करते समय प्रारुप समिति के अध्यक्ष ने संविधान सभा में इस बात पर बल दिया था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि संविधान में केन्द्र को अत्यधिक शक्तियां दी गई हैं लेकिन साथ ही प्रान्तों को भी अपने क्षेत्र में कानून बनाने एवं प्रशासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। ऐसा होने पर भी केन्द्र के ऊपर यदि कोई संवैधानिक उत्तरदायित्व आता है तो इसके निर्वाह के लिए केन्द्र, राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप कर सकता है और केन्द्र के द्वारा यह अतिक्रमण, अतिक्रमण नहीं माना जायेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आन्तरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से अविभेदिय रूप से जुड़ी हुयी है इसलिये इस क्षेत्र में केन्द्र को शक्तिशाली बनाना पूर्णतया तर्क संगत है। संविधान में केन्द्र व राज्यों के बीच आन्तरिक सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर जो प्रावधान दिये गये हैं वे राष्ट्रीय अखण्डता को बनाये रखने के लिए अति आवश्यक है। परन्तु साथ ही केन्द्र व राज्य की सुरक्षा संगठनों के बीच सुचारू व त्वरित समन्वय एवं संचार की आवश्यकता है। इसे स्थापित करने के लिए राज्यों व केन्द्र को मिलकर कार्याव्यन के लिये नीतियों का निर्माण करना होगा।

सन्दर्भ स्त्रोत

1. गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया, "रिपोर्ट ऑफ सेकेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन–पब्लिक आर्डर" (मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स–जून, 2007)

2. राम मनोहर लोहिया बनाम द स्टेट ऑफ बिहार, एआईआर 1966 (एससी740)

3. वोहरा एन. एन. "नेषनल गवर्नेन्स एण्ड इण्टरनल सिक्योरिटी" एआईआर पावर जरनल, वोल्यूम नं0 3, 2008

4. राव, बी. शिवा, द मेकिंग आफ इण्डियाज कांस्टीट्यूशन–ए स्टडी, आई.आई.पी.ए., नई दिल्ली, 1968,

5. गोपाल बनाम मद्रास राज्य, (1950) एस.सी.आर. 88 (253–54)

6. बसु, दुर्गादास, "भारत का संविधानः एक परिचय" वाधना एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 2000

7. संविधान सभा वाद विवाद, वोल्यूम प्रथम, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, पब्लिकेशन डिविजन, नई दिल्ली

8. गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया रिपोर्ट "कमेटी टू रिव्यू द आर्मड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 (मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स, 2005)

9. फ्राण्डा, मारकुस एफ. "वेस्ट बंगाल एण्ड फेडरेलाइजिंग प्रोसिस इन इण्डिया प्रिन्सटन एन.जे. : प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1968

10. नारायण, इकबाल "टवाईलाइट और डान : पॉलिटिकल चेन्ज इन इण्डिया (1967–1971)" आगराः शिवलाल एण्ड कम्पनी, एज्यूकेशनल पब्लिशर, 1972

11. नारंग, ए.एस. "भारतीय षासन एवं राजनीति" गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2008,

12. जे नारायण पाण्डेय ''भारत का संविधान'' सेंट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद,